

Please Download



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 1-2025]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी, 2025  
(17 पौष, 1946 शक)

## विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान आदेश संख्या का०आ० 1/के०अ० 37/1952/धा० 8/2025, दिनांक 03 जनवरी, 2025— हरियाणा राज्य में संबंधित जिलों के अपर जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त करने बारे।	1—2
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनःप्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

भाग—III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

आदेश

दिनांक 3 जनवरी, 2025

संख्या का०आ० 1/के०अ० 37/1952/धा० 8/2025.— चलचित्र (जुमाने का न्यायनिर्णयन) नियम, 2024 के नियम 3 के उप नियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 37) के उपबन्धों के प्रयोजनों हेतु हरियाणा राज्य में संबंधित जिलों के अपर जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

डॉ० सुमिता मिश्रा,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
गृह विभाग।

## HARYANA GOVERNMENT

## HOME DEPARTMENT

## Order

The 3rd January, 2025

No. S.O.1/C.A. 37/1952/S.8/2025.— In exercise of the powers conferred under sub-rule (2) of rule 3 of the Cinematograph (Adjudication of the penalty) Rules, 2024 the Governor of Haryana hereby appoints the Additional District Magistrate of the concerned Districts in the State of Haryana as the authorized officers for the purposes of the provisions of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act 37 of 1952).

DR. SUMITA MISRA,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Home Department.